BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 02/2020 (CZ)

NOTARY GOVT OF INDIA

In the matter of

Shakti Singh Bhati

Applicant (s)

Versus

State of Rajasthan & Ors.

Respondents(s)

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply of the original application on behalf of the respondent no. 6	1-3
2.	Affidavit in support of reply	4
	Documents	
3.	**Annexure-R-5/1** Photo copy of the mining engineer letter dated 15.09.2020 alongwith factual report (Coll.)	5-7
4.	Affidavit in support of documents	8
5.	Vakalatnama	9.

Arvind Soni (Advocate)
COUNSEL FOR THE RESPONDENT
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

NOTARY JODHPUR
14/12/2020

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 02/2020 (CZ)

In the matter of

Shakti Singh Bhati **Applicant (s)**

Versus

State of Rajasthan & Ors. **Respondents(s)**

REPLY OF THE ORIGINAL APPLICATION ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 6 i.e. RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

MAY IT PLEASE THIS HON'BLE TRIBUNAL:

The respondent most humbly submit this reply to the original application as under:-

PARAWISE REPLY OF THE ORIGINAL APPLICATION

1. That the contents of Para 1 of the original application need no reply.

2. That the contents of Para 2 of the original application need no reply.

3. That the contents of Para 3 of the original application need no reply.

4. That the contents of Para 4.1 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

5. That the contents of Para 4.2 of the original application are not admitted in the manner stated by the applicant and are denied. The applicants never made any complaint to the answering respondent with respect to the issue raised in the original application.

NOTARY JODHPUR 14/12/2020

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

NOTARY
TAHIR AHMED
EXPIRY DATE
26/10/2021
GOVT. OF INDIA

6. That the contents of Para 4.3 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

7. That the contents of Para 4.4 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

8. That the contents of Para 4.5 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

9. That the contents of Para 4.6 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

10. That the contents of para 4.7 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

11. That the contents of para 4.8 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

12. That the contents of para 4.9 of the original application does not pertain to answering respondent, hence need no reply.

13. That the contents of para 4.10 of the original application are not admitted in the manner stated by the applicant and are denied. It is submitted that the Mining Engineer, Jodhpur vide letter dated 15.09.2020 has submitted a factual report with respect to the issue raised by the applicant in the present original application. The photo copy of the mining engineer letter dated 15.09.2020 alongwith factual report is annexed herewith and marked as **Annexure-R-5/1 (Collectively)**.

14. That the contents of para 4.11 of the original application need no reply.

15. That the contents of para 5 grounds (a to m) of the original application need no reply.

NOTARY JODHPUR
14/12/2020

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

NOTARY TAHIR AHMED Advocate EXPIRY DATE 26/10/2021 INDIA

16. That the contents of para 6 of the original application need no reply.

17. That the contents of para 7 of the original application need no reply.

18. That the contents of para 8 of the original application need no reply.

19. That the contents of para 9 of the original application need no reply.

20. That the contents of para 10 of the original application need no reply.

Prayer

It is, therefore, most humbly prayed that in view of submission made herein above the reply on behalf of respondent no. 6 may kindly be taken on record.

HUMBLE RESPONDENT
THROUGH HIS COUNSELS

(ARVIND SONI)
ADVOCATES

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

ATTESTED
14/12/2020
NOTARY JODHPUR

ENTERED IN NOTARY
REGISTER AT SERIAL
No. 1833 Dt. 14/12/2020
TAHIR AHMED
NOTARY JODHPUR

Signature ... Amit Sharma
Identified by ... Self

4.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 02/2020 (CZ)

NOTARY TAHIR AHMED Advocate JODHPUR REGD. NO. 11700 EXPIRY DATE 26/10/2021 GOVT OF INDIA

In the matter of

Shakti Singh Bhati

NOTARY TAHIR AHMED Advocate JODHPUR NOTARIAL NOTARIAL EXPIRY DATE GOVT OF INDIA

Applicant (s)

Versus

State of Rajasthan & 3 Ors.

Respondents(s)

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REPLY TO ORIGINAL APPLICATION

I, Amit Sharma S/o Dr. Sushil Narayan Sharma aged 49 years, at present working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur, do hereby take oath and state as under:-

1) That I am Officer-in-Charge of the answering-respondents. Hence, being officer-in-charge, I am well conversant with the facts and circumstances of the present case.

2) That the annexed reply to original application has been drafted by my counsel under my instructions and I have carefully read over and understood the contents thereof.

3) That the contents of reply to original application are true and correct on the basis of the official records.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

VERIFICATION:-

I, the above named deponent do solemnly take oath and state that the contents of Para No.1 to 3 of my above affidavit are true and correct on the basis of official records and no part of it is in correct or false nor any material has been concealed there from. SO HELP ME GOD.

Signature of Amit Sharma
identified by

DEPONENT
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

ENTERED IN NOTARY
REGISTER AT SERIAL
No. 1834 OF 14/12/2020

TAHIR AHMED
NOTARY JODHPUR

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
14/12/2020

कायालय खान आमयन्ता, खान एव भू विज्ञान विभाग, जोधपुर (5)

Annex RS/1

ांक : खअ/जोध/अवैधखनन/एन.जी.टी/2020/2322 दिनांक 15.09.2020

प्रेषिति,

श्रीमान् क्षेत्रीय प्रबधक

पर्यावरण विभाग,

द्वितीय फेस बासनी जोधपुर।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोनल बेंच भोपाल मध्यप्रदेश मूल प्रार्थना पत्र 02/2020 (सी–जेड) में श्री शक्ति सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जोनल बैंच भोपाल (मध्यप्रदेश में मूल प्रार्थन पत्र 02/2020 (सी–जेड) में श्री शक्ति सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

खनि अभियन्ता,
जोधपुर

क्रमांक : सम/
दिनांक

प्रतिलिपि : श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक(खान) खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर को मय तथ्यात्मक प्रतिवेदन संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

खनि अभियन्ता,
जोधपुर

L.O.
2 नि
16/9/2020

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

(6)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोनल बैंच भोपाल मध्यप्रदेश मूल प्रार्थना पत्र 02/2020 (सी–जेड) में श्री शक्ति सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पर

तथ्यात्मक प्रतिवेदन

जिला जोधपुर के ग्राम बासनी तम्बोलिया (लिलपा भाकरी) के खसरा संख्या 70 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में 3 बीघा 8 बिस्वा तथा ग्राम आंगणवा का खसरा संख्या 98 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में 15.07 बीघा में कार्यालय के आदेश क्रमांक 444 दिनांक 27.03.1999 तथा आदेश क्रमांक 449 दिनांक 27.03.1999 से निम्न दो खनन पट्टे स्वीकृत है :–

1. खनन पट्टा एम.एल. संख्या 4/99 खनन पट्टाधारी श्री रामप्रकाश चौधरी क्षेत्रफल 1.00 हैक्टर।
2. खनन पट्टा एम.एल. संख्या 5/99 खनन पट्टाधारी श्री राजेश लम्बरोड़ क्षेत्रफल 1.00 हैक्टर।

उक्त खनन पट्टा वर्तमान में अवधि दिनांक 20.04.1999 से 50 वर्ष हेतु वर्तमान में प्रभावशील है। ग्राम बासनी, तम्बोलिया(लिलपा भाकरी) व आगंणवा की भूमि के स्वामित्व के संबंध में तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 13.03.2020 से रिपोर्ट व जमाबंदी भिजवायी गय, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्राम बासनी तम्बोलिया में स्थिति खसरा संख्या 70 का कुल रकबा 54.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ मे से 3.08 बीघा खनिज विभाग नाम दर्ज है तथा शेष 51 बीघा नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज है।
2. ग्राम आगंणवा में स्थिति खसरा संख्या 98 का कुल रकबा 175.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ मे से 15.07 बीघा खनिज विभाग के नाम दर्ज है तथा शेष 169.13 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

समस्त ग्रामवासी बासनी तम्बोलिय जोधपुर द्वारा कार्यालय में दिनांक 19.07.2018 को उपस्थित होकर शिकायत पेश की। जिसकी पालना में कार्यालय के सर्वेयर द्वारा दिनांक 24.07.2018 को ग्राम बासनी तम्बोलिया ऑगणवा रोड़ पर स्थित लिलपा भाकरी पर अवैध खनन की जांच की गयी। जांच हेतु रास्ते में आंगणवा रोड़ पर 2 ट्रेक्टर–ट्रॉली मे खनिज खण्डा(मेसेनरीस्टोन) परिवहन करते हुऐ पाये जाने पर चैक किया गया। चैक करने पर वाहन चालको के पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नही पाये जाने पर अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो के तहत जब्त सरकार किया गया एवं नियमानुसार कार्यवाही की गयी। जिसमें अवैध खननकर्ता से राशि रुपये 52975/– की वसूली की गयी। लिलपा भाकरी पर जाकर भी चैक किया गया। मौके पर कोई व्यक्ति नही मिला। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में 2 खनन पट्टे प्रभावी है। जिनमें खनन कार्य बंद पाया गया।

समस्त ग्रामवासी बासनी तम्बोलिया जोधपुर द्वारा पुनः कार्यालय में दिनांक 31.12.2018 को उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की गयी। जिसकी पालना में इस कार्यालय के वरिष्ठ खनिकार्यदेशक को उक्त क्षैत्र की जांचकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.01.2019 से लिखा गया। शिकायत की जांच हेतु खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 11.01.2019 को ग्राम बासनी तम्बोलिया के लिलपा भाकरी तथा आस–पास स्थित अन्य नगरीय निकायो की भूमि में अवैध खनन स्थलो का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त स्थल पर अनाधिकृत खनन/निर्गमन होना नही पाया गया।

जिस पर खनिकार्यदेशक द्वारा दिनाक 06.02.2019 को जोधपुर क्षैत्राधिकार मे खनिज सेण्डस्टोन के अवैध खनन, निर्गमन के संबंध में प्राप्त विभिन्न शिकायतो की जांच हेतु मौका चैकिंग की गयी। चैकिंग के दौरान दईजर, पालड़ी मांगलिया, लिलपा भाकरी, बासनी तम्बोलिया खनिज सेण्डस्टोन के अनाधिकृत के स्थलो का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त स्थलो पर कहीं पर भी ताजा अवैध खनन/निर्गमन होना नही पाया गया। चैकिंग खनिकार्यदेशक द्वारा उक्त क्षैत्र का पुनः दिनांक 11.03.2019 को चैकिंग की गयी। चैकिंग रिपोर्ट दिनांक 11.03.2019 के अनुसार ग्राम बासनी तम्बोलिया के लिलपा भाकरी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

(7)

आस–पास स्थित अन्य नगरीय निकायो की भूमि के अवैध खनन स्थलो का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त स्थल पर अनाधिकृत खनन/निर्गमन होना नही पाया गया।

ग्राम बासनी तम्बोलिया आगंणवा रोड़ पर स्थिति लिलपा भाकरी राजकीय भूमि खसरा संख्या 98 में अवैध खनन के संबंध में राजस्व विभाग के हल्का पटवारी व इस कार्यालय के खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 13.03.2020 को संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण अनुसार खसरा संख्या 98 आगंणवा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम भूमि दर्ज है, जिसमें अवैध खनन पाया गया। जिसे तुरंत प्रभाव से बंद करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 912–913 दिनांक 20.03.2020 से श्रीमान् सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण व श्रीमान् आयुक्त नगर निगम जोधपुर को लिखा गयां है व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल(मध्यप्रदेश) में जवाब पेश करने हेतु वस्तुस्थिति रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तत्पश्चात् पुन श्रीमान् तहसीलदार जोधपुर व खनिकार्यदेशक श्रेणी द्वितीय को दिनांक 07.08.2020 को पत्र जारी कर संयुक्त मौका सर्वे रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया तथा पुनः श्रीमान् सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण व आयुक्त नगर निगम जोधपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2113–2114 दिनांक 07.08.2020 से अपने स्तर क्षैत्र मे तुरंत प्रभाव से खनन कार्य बंद करवाकर वस्तुस्थिति रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 11.08.2020 को क्षैत्र में जाकर मौका निरीक्षण कर अवैध खनन पंचनामा व फर्द जब्ती बनाया गया जिसमें दो ट्रेक्टरो को जब्त कर पुलिस थाना मण्डोर खड़ा करवाकर अवैध खननकर्ताओ के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 0215 दिनांक 11.08.2020 को दर्ज करवायी गयी। तत्पश्चात् उक्त क्षैत्र का खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 11.09.2020 का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर वर्तमान में ताजा खनन नही पाया गया। उक्त क्षैत्र के हल्का पटवारी व खनिकार्यदेशक द्वारा एम.एल. संख्या 4/99 व 5/99 जो की विभाग द्वारा स्वीकृत है, जिसको नक्शे में सुपर इम्पोज किया गया।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोनल बेंच भोपाल मध्यप्रदेश मूल प्रार्थना पत्र 02/2020 (सी–जेड) में श्री शक्ति सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन के आधार पर मूल प्रार्थना पत्र 02/2020 (सी–जेड) को खारिज कराने का श्रम करावें।

खनि अभियन्ता,
जोधपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 02/2020 (CZ)

In the matter of

Shakti Singh Bhati

Applicant (s)

Versus

State of Rajasthan & 3 Ors.

Respondents(s)

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF DOCUMENTS

I, Amit Sharma S/o Dr Shushil Narayan Sharma aged 49 years, at present working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur, do hereby take oath and state as under:-

1. That I am Officer-in-Charge of the answering-respondents. Hence, being officer-in-charge, I am well conversant with the facts and circumstances of the present case.
2. That the document annexure-R-5/1 is true and correct photo copy of their respective originals.

DEPONENT

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

VERIFICATION

I, the above named Deponent do hereby verify that the contents of Para No.1 to 2 of my above affidavit are true and correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed therein and no part of it.

ENTERED IN NOTARY REGISTER AT SERIAL No. 1839 ON 14/12/2020

ATTESTED
NOTARY JODHPUR
14/12/2020

TAHIR AHMED
NOTARY JODHPUR

DEPONENT

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

Signature ... Amit Sharma

वकालत नामा

तारीख पेशी

मुकद्दमा नम्बर मूल आवेदन पत्र 02/2020 (CZ)

सेवा में श्री माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

शक्तिसिंह भाटी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

मैं/हम अमित शर्मा पुत्र डा. सुशील नारायण शर्मा जाति शर्मा

निवासी क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, ~~तहसील~~ स्प-1, M.I.A.I. जोधपुर उपरोक्त मुकद्दमें में अपनी ओर से

श्री अरविन्द सोनी **को**

वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा, जवाबुल जवाब, अपील, क्रॉस ऑब्जेक्शन, दरख्वास्त, निगरानी दरख्वास्त, नजरसानी दरख्वास्त, इजराय, इस्तगासा, ऊजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरख्वास्तें मुकद्दमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरख्वास्त व इकतरफा मनसुखी की दरख्वास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरख्वास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकद्दमें को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकद्दमें का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकद्दमें की पेरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिक्री से कतई डिक्री से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व क्रास ऑब्जेक्शन इत्यादि पेश करना इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में करना एवं सब पर अपने हस्ताक्षर करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेलटेक्स, एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स व एस्टेट ड्यूटी के कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो, इसके अलावा वकील साहब को मेरी/हमारी तरफ से सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा । जैसा कि मैं/हम खुद कर सकता हूं/सकते है व आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही वकील साहब करेंगे सब मुझको/हमको स्वीकार होगा जैसा कि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकद्दमें की पैरोकारी के लिये रुपये.................................) अक्षरे...तय किये हैं जिसमें से रुपये..................................अदा कर दिये हैं व रुपये..................................) बाकी रहे सो...........................दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे । निश्चित समय बाद अदा न करने पर वकील साहब मुकद्दमें की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकद्दमें का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा । मुकद्दमा इस न्यायालय से मुन्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेशी पर मैं/हम या हमारा पैरोकार हाजिर रहेगा या अदम पैरवी या एक तरफा की जिम्मेदारी वकील साहब की नहीं होगी। वकील साहब की हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकद्दमें की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा । इस मुख्तयार नामा की रुह से एक से ज्यादा वकील मुकर्रर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकद्दमें का करेंगे अव्वल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकद्दमें की फाइल बकाया रकम अदा किए बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्तुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता..................................माह........................सन् 201..........

हस्ताक्षर एडवोकेट ARVIND SONI Adv. (R/664/99) 9460070283

हस्ताक्षर वकालत नामा देने वाले के

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर